ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 155-160

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षा द्वारा महिला सशक्तिकरण

डॉ0 अनिल कुमार

असि0 प्रोफेसर– शिक्षाशास्त्र विभाग, एस0 आर0 डी0 ए0 कन्या पी0 जी0 कॉलेज, हाथरस (उ0प्र0) भारत

Received-15.06.2022, Revised-20.06.2022, Accepted-24.06.2022 E-mail: anil.phd78@gmail.com

सारांशः– ***आधुनिक भारत के नवनिर्माण की आधारशिला उन्नीसवीं एवं बीसवीं सदी में रखी गयी। बीसवीं सदी को इस देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुर्नोत्थान की सदी कहा जाता है । इस समयावधि में आयी सामाजिक चेतना से समाज सुधारकों ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करके महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति में लाने का प्रयास किया। जिससे निःसंदेह भारत में सभी धर्मों, वर्गों एवं क्षेत्रों की महिलाओं का विकास संम्भव हुआ । आज के आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में महिला सशक्तिकरण अपरिहार्य है। भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण में भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों जैसे– शारदा अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, सतीप्रथा अधिनियम, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, तीन तलाक समाप्ति अधिनियम आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु देश में चलाई गयी विभिन्न योजनाओं की विशेष भूमिका मानी जाती है। इन योजनाओं में मुख्यतः नावार्ड प्रशिक्षण योजना, महिला समाख्या योजना, महिला समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, नारीशक्ति पुरूस्कार योजना इत्यादि प्रमुख हैं। वर्तमान में इन योजनाओं का उपयोग देश की शिक्षित महिलाओं के द्वारा अधिकांशतः किया जा रहा हैं।***

आधुनिक भारत का निर्माण शिक्षा द्वारा ही संम्भव है। आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय महिलाओं का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त होना अति आवश्यक है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर देखा जाये तो पता चलता है कि महिला शिक्षा ने आश्चर्य जनक रूप से महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में अविश्वनीय योगदान दिया है। वास्तविकता यही है कि महिला सशक्तिकरण का मूल आधार शिक्षा ही है।

कुंजीभूत शब्द– नवनिर्माण, आधारशिला, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुर्नोत्थान, सामाजिक चेतना, सामाजिक कुरीतियाँ।

आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं से जुडे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक और कानूनी आधार पर प्रमुख रूप से संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज के परम्परावादी पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता फैलाने से है, जिसने हमेशा से महिलाओं की स्थिति को निम्नतर माना है। महिला सशक्तिकरण भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक व मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर के उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। संदेह नहीं है कि स्वतंत्रता के उपरान्त महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सार्थक प्रयास हुए हैं।

सशक्तिकरण एक व्यापक समूह है, जिसमें अधिकारों और शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश है यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आन्तरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनों, सुरक्षात्मक प्रावधानों और उनके भली–भॉति कियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का होना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण मुख्य रूप से नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चत करना है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राष्ट्रीय महिला आयोग आदि ।

भारतीय महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में– वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति पुरूषों के ही समकक्ष थी। वैदिक साहित्य में गार्गी, मैत्रेयी, लोपभुद्रा सुलभा, सरस्वती, सर्पराज्ञी, सूर्या, अदिति, दाक्षायनी, लोपामुद्रा, विश्वरारा, अपाला, घोषा, अनुसुइया, शकुन्तला आदि अनेक स्त्रियों ने स्त्री शिक्षा व अपनी विद्वता के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये थे। परन्तु, उत्तर वैदिक काल से महिलाओं की गरिमा में कमी आती गई। महात्मा बुद्ध के समय में महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण कुछ संतुलित हुआ लेकिन मुस्लिम काल में पुनःक्षरणी होने लगा था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के आरम्भिक काल में भारतीय महिलाऐं लगभग उपेक्षित थी लेकिन मिशनरियों के समय में समता, स्वतंत्रता व बंधुता के एक नवीन युग का सूत्रपात करते हुए महिलाओं की स्थिति को एक नई दिशा देने का कार्य किया। उन्नीसवीं और बींसवी सदी को भारत के सामाजिक एवं सांकृतिक पुर्नरूत्थान के काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस समयावधि में आई सामाजिक जाग्रति ने अनेकानेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करके सामाजिक सुधारों का एक श्रृंखलाबद्ध आन्दोलन को प्रोत्साहित किया

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण के प्रयासों की तरफ अनेक समाज सुधारकों ने ध्यान देते हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधारों और शिक्षा के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और उन्हे सशक्त बनाने के अथक प्रयास किये थे। बुड के घोषणा पत्र, (1854), हण्टर आयोग (1882), सैडलर आयोग (1917) अखिल भारतीय नारी सम्मेलन (1927), राधाकृष्णन आयोग (1948), मुदालियर आयोग (1952) दुर्गाबाई देशमुख समिति (1958), हंसा मेहता समिति (1962), कोठारी आयोग (1964), शिक्षा नीति (1968), शिक्षा नीति (1986), नवीनतम शिक्षा नीति राष्ट्रीय (2020) तथा राष्ट्रीय महिला आयोग आदि ने भी महिला पुरूष के बीच की असमानता को शीघ्रता से करके समाप्त करने मे शिक्षा की सहायता का प्रबल समर्थन किया। हिन्दू कोड बिल (1948), हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), हिन्दू विवाह अधिनियम (1955), हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार अधिनियम (2005), शारदा अधिनियम (1929), पंचायती राज अधिनियम (1992), तीन–तलाक समाप्ति विधेयक (19 सितम्बर 2018) ने महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विगत कुछ दशकों में प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक पर समाज के विभिन्न वर्गों तथा संवर्गों, राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों द्वारा हाय–तौबा तो की है किन्तु उचित दृष्टिकोण, दृढ़ संकल्प तथा समुचित मतैक्य के अभाव में उक्त प्रस्ताव को अभी तक कार्य रूप नहीं दिया जा सका है। निःसन्देह भारत में सभी धर्मों वर्गों एवं क्षेत्रों को महिलाओं के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने की तत्काल आवश्यकता है।

आज के आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में महिलाओं की सशक्तिकरण एक अपरिहार्यता है एवं इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी के द्वारा सक्रिय रूप से सतत प्रयास करना नितांत अपेक्षित है।

परिणाम स्वरूप आज भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यही कारण है कि आज भारतीय महिलाएँ सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रही है जैसे–जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे–वैसे भारतीय महिलाऐं उच्चतम पदों पर आसीन होकर पुरूषों के समान सशक्त हो रही है।

भारत में साक्षरता दर प्रतिशत में : 1951–2011

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	पुरूष	महिलाएं	महिलाओं और पुरूषों की साक्षरता दर में अंतर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.3	40.4	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.83	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	65.46	16.68

स्रोत : 2011 की जनगणना के आँकड़े

आधुनिक भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण के मानक– आज महिला सशक्तिकरण की माप करने हेतु सामान्य रूप से निम्न तत्वों का सम्मिलित किया जाता है–

संसद एवं विधान मण्डलों में महिलाओं की भागीदारी ।
प्रशासन एवं प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत ।
प्रोफेशनल एवं तकनीकी सेवाओं में महिलाओं का अनुपात ।
महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय और उनकी तुलनात्मक स्थिति ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति ।
देशाटन की सुविधा ।
निर्णय का अधिकार।
सत्ता के साथ–साथ पुरूषों के बराबर हक इत्यादि ।

महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति हेतु संवैधानिक संरक्षण– भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक विकास हेतु कतिपय संरक्षण मूलक प्रावधान किये गये हैं–

अनु0–15 (अ)– राज्य लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा तथा बच्चों एवं महिलाओं की उन्नति के विशेष प्रयास किये जायेगें ।

अनु0–15 (3)– राज्य महिलाओं की उन्नति तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से उत्थान के प्रयास करेगा।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

अनु0–16 (2)– राज्य लोक नियोजन में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। यहाँ लैगिंक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, जो मौलिक अधिकार है।

अनु0–23 (1) यह मानव दुर्व्यापार, बेगार (बलातश्रम) और इसी प्रकार के अन्य बलातश्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के उल्लंघन को दण्डनीय अपराध बनाया गया है।

अनु0–39 (A)–राज्य प्रयास करेगा कि जीवन यापन के लिए महिलाओं को पुरूषों के समान समानता मिलें।

अनु0–39 (D)– समान कार्य के लिए समान वेतन (महिलाओं) को पुरूषों के समान ।

अनु0–42 – कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध करने इसमें राज्य सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा के विशेष प्रावधान करेगा।

अनु0–243 (D)– स्थानीय शासन के तीनों स्तर (पंचायतों) पर महिलाओं एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

अनु0–243 (T)– नगरीय शासन की नगर पालिकाओं के तीनों स्तर पर एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के देने का प्रावधान किया गया है।

अनु0–243 (ZK)– राज्य विधान मण्डल में कम से कम दो स्थान का आरक्षण सहकारी समिति में कर सकता है।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान– आई0 पी0 सी0 के तहत महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में कई घटनाओं को शामिल किया जाता है–

1– धारा– 376 बलात्कार ।
2– धारा– 363 से 373– विषेशीकृत उद्देष्यों से अपहरण ।
3– धारा–302 तथा 304 बी– दहेज हत्या/दहेज मृत्यु ।
4– धारा–498 ए – मानसिक एव शारीरिक प्रताड़ना ।
5– धारा– 354– शील भंग करने के उद्देश्य से महिला पर प्रहार करना ।
6– धारा– 356 बी–विदेशों से लड़कियों (21 वर्ष से कम आयु) का आयात करना ।

महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु वैधानिक अधिनियम– वे प्रावधान जो संसद या राज्य विधान मण्डल द्वारा कानून बनाकर किसी प्रथा या अपराध को निषिद्ध घोषित किया जाता है। भारतीय महिलाओं की स्थिति में उन्नयन हेतु किये गये कुछ प्रावधान निम्नवत हैं–

1– **शारदा अधिनियम (1929)–** इसके अन्तर्गत विवाह की न्यूनतम आयु (लड़की 15 वर्ष तथा लड़के 18 वर्ष) की गई।
2– **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948)–** यह अधिनियम महिलाओं एवं पुरूषों के लिए समान मजदूरी का प्रावधान करता है।
3– **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1954)–** इसके द्वारा हिन्दू महिलाओं को तलाक के सम्बन्ध में विशेष संरक्षण प्रदान किये।
4– **हिन्दू विवाह अधिनियम (1955)–** इसके माध्यम से बहुपत्नी विवाह को अवैध करार दिया गया है। अपवाद के रूप में केवल मुस्लिम कानून को देखा जा सकता है।
5– **अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम (1956)–** इस कानून में 1986 में संशोधन किया गया, यह अधिनियम बालिकाओं तथा महिलाओं के पुर्नव्यवस्थापन हेतु विशेष प्रावधान करता है।
6– **दहेज प्रतिबंध अधिनियम (1961)–** इसके द्वारा दहेज लेना व देना दोनों को ही दण्डनीय माना गया है।
7– **समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)–** इसकें द्वारा किसी भी कार्य के लिए महिला एवं पुरूषों को समान पारिश्रमिक देने का प्रावधान करता है।
8– **मातृत्व सुविधा अधिनियम (1981)–** इसमें 2015 में संशोधन करते हुए किसी महिला को मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।
9– **महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोध कानून (1986)–** इसमें विज्ञापन तथा अन्य प्रचार माध्यमों या व्यापारिक रूप से अश्लील प्रस्तुतीकरण पूर्णतः निषिद्ध किया गया है।
10– **सती प्रथा रोकथाम अधिनियम (1987)–** इसके द्वारा सदियों पुरानी सती प्रथा या इसकी अनुशंगी प्रथाओं को पूर्णतः अवैधानिक/अमान्य घोषित किया गया ।
11– **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990)–** महिला अधिकारों संरक्षण एवं विकास की योजनाओं के निर्माण में

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

शक्तियाँ प्राप्त एक राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई ।

12– राष्ट्रीय महिला कोष (1993)– महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष का गठन निर्धन महिलाओं को विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से किया गया है।

13– घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम (2005)– महिला अत्याचार (शारीरिक, मानसिक, लैंगिक तथा मौखिक) रोकथाम हेतु ।

14– लैंगिक अपराधों से बालक– बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम पाक्सो एक्ट (2012)– बालक एवं बालिकाओं को यौन शोषण तथा लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु 14 नवम्बर 2012 (बाल दिवस के अवसर पर) लागू किया ।

15– कार्यस्थल पर महिला उत्पीडन से संरक्षण अधिनियम (2013)– इसके तहत कार्य स्थल पर दुष्कर्म, अश्लील व्यवहार के कारण हुई मृत्यु के दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड दिया जा सकेगा ।

महिलाओं को स्वस्थ एवं सशक्त बनाने में सरकारी योजनाओं की भूमिका– नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रो0 अमर्त्यसेन ने अपनी पुस्तक India Economic Development And Social Opportunity में लिखा है कि ''महिला सशक्तिकरण से न केवल, महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा, बल्कि पुरूषों और बच्चों को भी इससे लाभ होगा।''

इससे स्पष्ट है कि देश की सरकारी योजनाओं का सीधा प्रभाव महिला सशक्तिकरण पर पड़ेगा । अतः कुछ योजनाओं का सूक्ष्म विवरण निम्नवत् है–

1. नाबार्ड प्रशिक्षण योजना (1989) – नार्वे सरकार के सहयोग से महिलाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण के उद्देश्य से संचालित है।

2. महिला समाख्या योजना (1989) – स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण करना ।

3. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (1992) – गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करना।

4. स्वयं सहायता समूह योजना (1993) – महिलाओं में संगठन की भावना विकसित करने अपनी आर्थिक स्थिति को लघु बचत द्वारा सुदृढ़ करने की योजना ।

5. ऋण प्रोत्साहन योजना (1993) – सूक्ष्म एवं लघु ऋण देकर छोटे–छोटे उद्योग स्थापित करने की योजना।

6. राष्ट्रीय महिला कोष– 30 मार्च (1993)– इसका गठन निर्धन महिलाओं अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ।

7. महिला समृद्धि योजना (1993) – 2 अक्टूबर 1993 को ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भता हेतु ।

8. बालिका समृद्धि योजना (1997) – 2 अक्टूबर 1997 को ग्रामीण एवं षहरी गरीब महिलाओं को प्रथम दो बालिकाओं के जन्म पर रू0 500/– सहायता एवं विद्यालय जाने पर छात्रवृत्ति की सुविधा।

9. स्वयं शिक्षा कार्यक्रम (1997) – आर्थिक सशक्तिकरण एवं सर्वांगीण विकास हेतु ।

10. नारी शक्ति पुरूस्कार (1999) – यह पुरूस्कार असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।

11. स्वाधार योजना (2001–02) – विधवा, परित्यक्त, बेघर, बेसहारा महिलाओं की सहायता हेतु ।

12. कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना (2004) – भारतीय ग्रामीण व शहरी गरीब बालिकाओं की शिक्षा हेतु।

13. इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (28 अक्टूबर 2010) – इसका उद्देश्य 19 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6000 रूपये दो बच्चों के तक।

14. सबला योजना (2011) – 1 अप्रैल लागू इसमें 11–15 आयु वर्ग को पोषण खाना प्रदान करना 15–18 आयु वर्ग की बालिकाओं को आयरन की गोली देना ।

15. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना (2015) – यह योजना 22 जनवरी को हरियाणा के पानीपत में शुरू की गयी, जिसका उद्देश्य बालिका लिंगानुपात में गिरावट को रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था ।

16. सुकन्या समृद्धि योजना (2015) – 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की शिक्षा व विवाह हेतु ।

17. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (2016) – 1 मई को बलिया (उ0 प्र0) से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रसोई गैस सिलेण्डर व चूल्हा उपलब्ध कराया गया ।

18. महिला शक्ति केन्द्र योजना (2017) – ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक भागीदारी द्वारा सशक्त बनाना।

19. ई हॉट योजना (2019) – महिला उद्यमियों को अपने हुनर द्वारा आर्थिक समृद्धि हेतु को पूरा करने की सार्थक पहल।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

उद्देश्य माता व नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोकना ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में महिला सशक्तिकरण हेतु किये गये प्रयास–

1– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) –

1. शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया गया ।
2. महिलाओं में साक्षरता प्रसार की रूकावटों को दूर करने के जिनके कारण लड़कियों प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित रह जाती है। सर्वोपरि प्राथमिकता दी गई।
3. विभिन्न स्तरों पर तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया।
4. लड़के–लड़कियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव न करने की नीति पर पूरा बल दिया जायेगा ताकि तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पारस्परिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंग भेद को समाप्त किया जा सके।
5. महिलाओं से सम्बन्धित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जायेगा साथ ही शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया।

2– राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ की संशोधित कार्यवाही योजना 1992 –

1. लड़कियों को स्कूल में बनाये रखने की दर बढ़ाने हेतु पूर्व माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के भोजन और छात्रावासों की सुविधाओं को सुदृढ बनाने की योजना शुरू हुई ।
2. प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कुल छात्रों में से लड़कियाँ सुनिश्चित करने प्रयास किये गये।
3. सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों में महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने पर बल दिया और परिणामतः महिलाओं की नामांकन दर 60% से अधिक हो गई ।
4. समाज, उद्योग तथा व्यवसाय की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय तथा कॉलेज स्तर पर महिला शिक्षा को सार्थक बनाने का प्रयास किया गया ।

3– नवीनतम शिक्षा नीति (2020)–

1. बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित व व्यवहारिक पहुँच प्रदान की जायेगी ।
2. कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों का कक्षा 12 तक विस्तार किया जायेगा ताकि छात्राओं का नामांकन बढ़ सके।
3. बालिकाओं और ट्रांसजेण्डर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि का गठन ।
4. व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने का प्रावधान है जिससे विशेषकर महिलाऐं आत्मनिर्भर बन सकें।
5. उच्च शिक्षण संस्थाओं को सॉट स्किल्स सहित ''कौशलों तथा लोक विधाओं'' में सीमित अवधि के सर्टीफिकेट कोर्स करवाने की अनुमति होगी। इससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में महिलाएं अपनी रूचि एवं सुविधा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सकेंगी ।

शिक्षा द्वारा ही महिला सशक्तिकरण सम्भव– शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जो महिला सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका रखता है लेकिन शिक्षा की राह में निरक्षरता और शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव प्रमुख समस्या है। निरक्षर महिलाओं को अपनी आजीविका कमाने में पुरूषों पर निर्भर होना स्वाभाविक है लेकिन इस अन्धकार में आशा की कुछ किरणें दिखाई देने लगी है। आज समय बहुत ही तेज गति से बदल रहा है। अब समय आ गया है कि हम सभी भारतीय महिलाओं को शिक्षा प्रदान करके उन्हें पुरूषों के समान सशक्त बनने की राह आसान करें।

आधुनिक भारत के निर्माण में शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को द्रुत गति मिलेगी। इसके साथ ही हमें उस स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए कि क्या होगा जब महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार न मिले और उनके बेहतर प्रदर्शन के नकार दिया जायें। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम लैंगिक विभेद कर रहे है। लेकिन ज्ञातव्य रहे कि किसी भी समाज में लैंगिक भेद के दूरगामी परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते है। इस बात पर कोई असहमति नहीं हो सकती है कि शिक्षा ही महिला को सशक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि इससे उसमें ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास पैदा होता है। जो कि किसी भी मानव की विकासात्मक प्रक्रिया में शामिल होने लिए आवश्यक है। यदि आज हम आधुनिक (वैश्विक) स्तर पर देखें तो पता चलता है कि महिला शिक्षा ने आश्चर्य जनक रूप से महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में अतुलनीय योगदान किया है। वास्तव में देखा जाए तो यही महिला सशक्तिकरण का मूल आधार है क्योंकि यह उन्हें निर्णयन प्रक्रिया में सहायता करता है। शिक्षा की भूमिका उत्प्रेरक होती है क्योंकि यही लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण में वृद्धि करता है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- II, Issues-24, YEAR- April-June-2022

अन्त में उल्लेखनीय है कि महिला शिक्षा न केवल एक महिला को शिक्षित करती है, बल्कि उसके आस–पास के लोग भी उससे शिक्षित एवं प्रभावित होते है। वास्तव में शिक्षा का पक्ष महिलाओं के सन्दर्भ में काफी लम्बे समय से उपेक्षित रहा है। आज भी महिला शिक्षा के मार्ग में कई बाधाऐं हैं। यह एक जन सामान्य की अवधारणा रही है कि बेटियों पर पैसे खर्च करना निरर्थक है क्योंकि वह पराया धन है उसे तो दूसरे घर ही जाना है लेकिन बदलते समय के साथ–साथ लोगों के विचारों में मौलिक परिवर्तन आने लगा है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने ठीक ही कहा है कि ''यदि तुम किसी व्यक्ति को शिक्षित करते हो तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है लेकिन यदि तुम किसी नारी को शिक्षित करते हो, तो एक परिवार शिक्षित करोगें ।''

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, प्रो0 एस0 पी0 और गुप्ता डॉ0 अलका, ''भारतीय शिक्षा के समसामयिक प्रकरण'' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2010.
2. उपाध्याय, डॉ0 प्रतिभा, ''भारतीय शिक्षा में उदयमान प्रवृत्तियाँ'', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2009.
3. प्रजापति, आर0 सी0, ''सामाजिक समस्याएं एवं अन्य मुद्दें,'' तक्षषिला पब्लिकेशन, इन्दौर, 2018.
4. सिंह, डॉ0 जयवीर और गौरन, सिरिल ''आजादी के 65 वर्ष और महिला सशक्तिकरण,'' सुरक्षा परिदृश्य, वाल्यूम, 7–8 अगस्त 2013.
5. चक्रवर्ती, डॉ0 मानस, ''नारी सशक्तिकरण बनाम भारत में सामाजिक न्याय,'' वर्ल्ड फोकस, अंक–88 जुलाई 2019.
6. पाठक पी0 डी0 और त्यागी गुरसरनदास ''भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ,'' अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2012.
7. भार्गव, डॉ0 महेश व कौशिक, डॉ0 सीमा तथा सिंह, डॉ0 सतेन्द्र, ''भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास'', राखी प्रकाशन, आगरा, 2015.
8. www.wcd.nic.in
9. https://failwise.com

*****